

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2017/1139

दिनांक:- 5/11/18

आदेश

मण्डल की उदयपुर वृत्त के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं के अवशिष्ट कुल 7 भूखण्ड का निस्तारण उप आवासन आयुक्त वृत्त उदयपुर/अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय द्वारा उक्त भूखण्डों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से करने हेतु अनुशंसा की है अतः नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	योजना का नाम	आय वर्ग	भूखण्ड संख्या
1.	पानेरियों की मादड़ी	मध्यम आय वर्ग ब	4-A-18
2.	भुवाणा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1/149A
3.	गोविन्द नगर	मध्यम आय वर्ग अ	0-46A
4.	गोविन्द नगर	मध्यम आय वर्ग अ	0-46B
5.	गोविन्द नगर	मध्यम आय वर्ग अ	0-46C
6.	गोविन्द नगर	मध्यम आय वर्ग ब	Q-1
7.	पानेरियों की मादड़ी	मध्यम आय वर्ग ब	3-B-62

उक्त भूखण्डों का निम्नांकित शर्तों पर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है -

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक